

EASILY COMFORTABLY SAFELY PUNCTUALLY IN RSRTC BUSSES

RSRTC A Birds Eye View

For enhancing the convenience of Rajasthan's travelling public, Rajasthan State Road Transport Corporation was set up on 1st October, 1964 under the provisions of Road Transport Act 1950. Ever since the corporation was set up in 1964 a well co-ordinated and integrated transport policy was framed to achieve basic goals and secure social stability; this was achieved through national integration of minds with the required political cohesion and social interaction. This facilitated free personnel movement inside the country RSRTC is proud of its national role and its firm resolve to expand its operation taking pride in corporate discipline and resolute management with the objectives and targets of all round development. We have on record an impressive pattern of road transport growth over the years. Our fleet has increased to 3464 from 421. We are transporting daily about 7.16 lacs passengers and operating on routes connecting 32 districts of Rajasthan and neighboring states. For better convenience of the passengers. RSRTC has set up ell planned bus stands in all the important location with all public amenities as well as way side bus stands erected at almost all the boarding points throughout Rajasthan. RSRTC is also fully aware of its social responsibilities and providing free and concessional travel to a series of sections of the society including Press People, Freedom Fighters, Blind, Cancer Patients, Handicapped etc.

Extended travelling facility to the colonies and sub-urban towns in and around Jaipur city. Irrespacespective of the heavy financial loss on this operation, RSRTC has been operating about 250 city buses per day. For late night passengers, selected city night service buses connecting Railway Station, Bus Stand have also been operated by RSRTC. The process of development and expansion of facility to the commuters is regular process in RSRTC and RSRTC is rightly expediting its responsibility. For declaring its public responsibility this citizen charter has been published for better transparency and accountability.

Objective

The corporation's main objectives are:

To provide efficient, adequate, safe and well co-ordinate passenger transport service.

Through the development of transport facility, developing of this virgin Desert land for our national economy. With these objectives RSRTC has been providing services not only on notified routes but also on Non-

Nationalized routes for the convenience of the public. Inter State Services are also being extended to the neighboring states for a co-ordinate service system.

Service Details:-

1. VOLVO Airconditioned Services:-

RSRTC Provides VOLVO buses for Convenient and comfortable journey between Jaipur-Delhi, Delhi -Jodhpur and Delhi Via Jaipur, Udaipur, Ahemdabad, Jaipur- Ganganagar. RSRTC Also Planed to started Major Cities of State, Tourist & Relieases Places and Hill Stations as soon as.

2. Sleeper A/c Coach:-

For Night service RSRTC provide Facilities of A/c Sleeper Coach for Jaipur-Ahemdabad, Jaipur-Haridwar, Jaipur- Jodhpur, Jaipur-Udaipur, Jaipur-Mount Abu etc. RSRTC Planed to Provide services for other stations and extend the facilities and leval.

3 Sleeper Non - A/c Coach:-

There are 8 sleeper coach Non A/c provide on Jaipur-Gwalior, Jaipur-Viratra Mata, Jaipur-Jaiselmer, Jaipur- Lakhnaw.

4 Air Conditioned (Pink Line Services) :-

RSRTC provides Air Conditino Services for a conventent and comfortable journey in the main routes like Jaipur-Delhi, Jaipur-Agra and Jaipur Udaipur.

5 <u>Super Deluxe- (Silver Line Services):-</u>

More than 150 Deluxe bus services were made available connecting District Head Quarters as well as towns and cities within and out side neighboring state.

6 Long Distance Express and Night Services (Blue Line Services):-

RSRTC Operates Express Bus Services all over the State and to neighbouring States with better bus condition at lesser travelling time and for the convenience of the passengers, operate night services throughout the state as the neighbouring states.

7 Inter State Services:-

RSRTC operates inter state services to the neighbouring state of Delhi, Haryana, Utter Pradesh, Panjab, Chandigarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Uttaranchal, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir.

8 Ordinary Services:-

For Short distance and village travelers, RSRTC operates services connecting town and Panchayats to the District and Tehsils as wll as to the nearby villages.

9 Mela Servieces :-

Catering to the services for the social and religious gathering, RSRTC operate Special Mela Services.

Passenger Amenities

At all the Bus Stations seven days advance reservation of tickets facility is available free of charg.

For Passengers of Jaipur City Through 40 Kiyosk on line ticketing facility for Air conditioned, Deluxe, Semi-Deluxe and Express busses is available on additional payment of Rs. 10/- as service charges.

Facility to book six seats in each service through telephone is also available for passengers boarding at jaipur.

Other than CBS Jaipur on line booking facility is available free of cost at RSRTC countries at Narayan Singh Circle and ghat Gate, Jaipur.

For Member of Parliament, Legislative assembly ladis and handicapped People RSRTC has reserved special quota seat in each service.

At 27 major Bus Stands like Jaipur, Ajmer, Jodhpur, Kota Bikaner Udaipur, Delhi, Ahmedabad etc. Computerized Reservation along with return ticket facility is available.

Holder of Return ticket are allowed 10% concession in fare for travelling at RSRTC Busses.

Concessional Monthly Passes

For express and ordinary services RSRTC provide concessional travel facility @ 90% to the Female passengers @ 50% to the students and 45% to the general passengers.

Passenger Insurance

For ensuring a safe and secured journey RSRTC has introduced a new insurance Scheme by charging additional one rupee from passengers for travelling above 60 km. or ticket valued above Rs. 20/- in case of accident immediate relief up to Rs. 50,000/- is admissible in this scheme.

Time Table

RSRTC marking the boards of time table of various types of services have been installed at major bus stands of the Corporation and the time table of various categories of Corporation vehicles is also available on the Corporation's website http://rsrtconline.rajasthan.gov.in and Rsrtc App.

Air Conditioned Waiting Room

Air Conditioned Waiting rooms are available at CBS Jaipurand Bikaner House, New Delhi, Udaipur, Ajmer, Jodhpur.

Inquiry Service

In all the bus stands and at booking stations RSRTC provides inquiry facility from where passengers can obtain service details.

Suggestion and Complaints

RSRTC always welcomes suggestions for improvement in the quality of service. Complaints and Suggestion Boxes/books are available at all bus station to record the opinion of passengers. In addition through RSRTC help line at phone number 9549456745 and 1800-2000-103 (Toll Free). passengers can lodge their complaints/suggestions at head office control room phone number 0141-2373043 and 0141-2373044. Passengers can record their suggestion/complaints round the clock and complaint section of traffic department receives service related complaints from passengers offline and online. Online complaints are registered on following mail Ids:-

- 1. emcomplaint.rsrtc@rajasthan.gov.in
- 2. rsrtc.emcomplaint@gmail.com
- 3. INGRAM Portal

Other Facilities

Clock Room facility is available at all the major bus stands.

STD/PCO Services are available at all RSRTC bus stands.

Porters are available at CBS Stand, Sindhi Camp, Jaipur.

Travel facility at concessional rates:-

7.

8.

Regarding Excess

For not Giving Ticket

At present the Corporation provides free/concessional travel facility to passengers as follows . (Appendix attached)

For the convenience of passengers and general public, applications are disposed of in the following manner:-

S.No.	Particulars	Officer Concerned	Duration of Disposal
1.	For Inter State Bus Operation	E.D. (Traffic)	3 Months
2.	For Bus Services at Nationalized Routes	E.D. (Traffic)	7 Days
3.	For Bus Services atNon- Nationalized Routes	E.D. (Traffic)	5 Days
4.	For City Bus Operation	E.D. (Traffic)	3 Days
5.	For Sub- Urban Bus operation	E.D. (Traffic)	7 Days
(ii)	Construction of BusStands		
1.	For Bus Stand at Big Cities	E.D./GM	3 Days
2.	Bus Stands at Villages/New Places	E.D./GM	10 Days
3.	Construction of Bus Stands	E.D.(Adm.)	1 Months
4.	Expansion of Existing Bus Stands	E.D.(Adm.)	1 Months
(iii)	For Facilities at BusStands		
1.	For Passangers Sheds	E.D.(Adm.)/GM	2 Months
2.	Arrangement for Seats	Chief Manager	7 Days
3.	Cleanness of Toilets	Chief Manager	1 Day
4.	Cleanness of Bus Stands	Chief Manager	3 Days
5.	Complaints against items sold at the shop of Bus Stand	Chief Manager	1 Day
6.	Regarding STD/PCO	Chief Manager	1 Months
7.	For Drinking Water	Chief Manager	1 Day
8.	For Canteen Facility	Chief Manager	1 Months
(IV)	Complaints of Travelling Public		
1.	Regarding Driver	Chief Manager	3 Days
2.	Punctually of Busses	Chief Manager	3 Days
3.	Complaint Against Crew	Chief Manager	3 Days
4.	Against Staff Inquiry	Chief Manager	3 Days
5.	For Public Amenity at Bus Stand	Chief Manager	3 Days
6.	Behavior of Driver/conductor in journey	Chief Manager	3 Days
_	D 1: E	C1 : C3 4	100

Chief Manager

Chief Manager

3 Days

3 Days

CONSTRUCTION/EXTENTATION/REPAIR/PASSANGER AMENITIES WORK OF BUS STAND

A. The Prescribed period for disposal of letters received for construction/ Extentation/Repair/Passenger amenities work of bus stand-

WORK	Application Submitted to	Period for Disposal of Letter
Regarding construction/ Extentation of bus stand	ED(ADMIN.) S.E.(CIVIL)	01 Month
Repair work at Bus Stand (as-Toilet, Urinal, shed, Waterhut, Road, Electric, Chaires, WaitingArea, Canteen, Parking etc.)	S.E.(CIVIL) Chief Manager	01 Month

B. Stipulated Period for execution of construction works-

(1) In case land is not available for construction of bus stand-

In case of non availability of land the construction of Bus Stands of the corporation can be done after availability of Land & Funds. Construction of bus stands can be done as per requirement in the following period –

	Description	The Application from which	Construction
S.No.		will be submitted	Period
1	Construction of bus stand at divisional headquarters level	ED(ADMIN.) S.E.(CIVIL)	According to PWD Norms
2	Construction of bus stand at District headquarters level	ED(ADMIN.) S.E.(CIVIL)	According to PWD Norms
3	Construction of bus stand at Tehsil headquarters and other places	ED(ADMIN.) S.E.(CIVIL)	According to PWD Norms

(2)In case Land available for construction/ expansion of bus stand of the corporation— After availability of funds construction of bus stands can be done as per requirement in the following period—

		The Application from which will	Construction
S.No.	Description	be submitted	Period
1	Construction of bus stand at	ED(ADMIN.)	According to
1	divisional headquarters level	S.E.(CIVIL)	PWD Norms
2	Construction of bus stand at	ED(ADMIN.)	According to
2	District headquarters level	S.E.(CIVIL)	PWD Norms
	Construction of bus stand at	ED(ADMIN.)	According to
3	Tehsil headquarters and other	S.E.(CIVIL)	PWD Norms
	places		
	Expansion of existing bus stand	ED(ADMIN.)	According to
4	Expansion of existing our stand	S.E.(CIVIL)	PWD Norms

C. Stipulated Period for execution of Passenger Amenities/Repair Work at Bus Stand -

After availability of funds, Work for Passenger Amenities/Repair work can be carried out as per requirement in the following period –

	Description	The Application from which	Construction
S.No.		will be submitted	Period
	Repair work at Bus Stand (as-Toilet,	S.E.(CIVIL)	According to
1	Urinal, shed, Waterhut, Road, Electric,	Chief Manager	PWD Norms
1	Chaires, WaitingArea,		
	Canteen, Parking etc.)		

Duties of Passanger

- 1. Corporation Buses are your property. Taking care of them is your responsibility.
- 2. Please travel with a ticket. Travelling without a ticket is a crime. Travelling above the bus and getting up/down on a moving busis risky.
- 3. Please co-operate in keeping the bus stands and buses clean. Don't smoke inside the bus. While travelling please don't carry any explosive/inflammable items.
- 4. Please make use of suggestion box & complaint register.
- 5. Travelling in unauthorized buses is unsafe. Risky and illegal.

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर जयपुर । राजस्थान राज्य के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के निर्देश/अनुमोदन अनुसार देय निःशुल्क/रियायती यात्रा सुविधाओं का विवरण

नवीनतम स्थिति दिनांक 12.03.2024

क.सं.	श्रेणी	देय सुविधा	पात्रता / याता का आधार	वाहन श्रेणी जिसमें निःशुल्क / रियायती यात्रा सुविधा देय है।	वर्तमान में देय सुविधाक हॉ से कहॉ तक	सुविधा कब से देय हुई
1	पत्रकार	निःशुल्क	डी.पी.आर से जारी आदेशानुसार अधिकृत पत्रकार को निगम से जारी /RFID कार्ड एवं यात्रा कपून के आधार पर	साधारण, द्रुतगामी सेमी डीलक्स ,डीलक्स बस	केवल राजस्थान एवं दिल्ली तक की यात्रा	वर्ष —1974
2	अधिस्वीकृत पत्रकार	नि:शुल्क	RFID कार्ड के आधार पर	वातानुकूलित / वोल्वों वाहनों में ।	राजस्थान राज्य की सीमा व दिल्ली तक यात्रा	17.6.2016
3	स्वतन्त्रता सैनानी	निशुल्क	राजस्थान सरकार से जारी पेंशन आदेश के आधार पर व निगम से जारी /RFID कार्ड	समस्त वाहन श्रेणी (वातानुकूलित बसों में यात्रा दिनांक 08.01.2014 से स्वीकृत)	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है ।	01.04.1987
4	स्वतन्त्रता सेनानी का एक सहयोगी	निशुल्क		कम सं. ३ के अनुसार यथावत ।	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है।	07.05.1994
5	स्वतन्त्रता सैनानियों की विधवाएं	नि:शुल्क	राजस्थान सरकार से जारी पेंशन आदेश के आधार पर व निगम से जारी /RFID कार्ड	कम सं. 3 के अनुसार यथावत ।	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है।	04.05.1989
6	स्वतन्त्रता सैनानी की विधवा का एक सहयोगी	नि:शुल्क		कम सं. 3 के अनुसार यथावत।	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है।	02.03.2007

7	(i) युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवायेंएवं उन पर आश्रित अवयस्क संताने			साधारणं, द्रुतगामी एवं डीलक्स वाहने	केवल राजस्थान राज्य क्षेत्र में।	8/7/1999
	(ii) दिनांक 01-04-1999 एवं इसके बाद विभिन्न सैन्य ऑपरेशन में शहीद सैनिकों /अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद सैनिकों की विधवायें एवं उन पर आश्रित अवयस्क सन्ताने	नि:शुल्क	सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी पेंशन पत्रादि के आधार पर निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर	(डीलक्स बसों में यात्रा सुविधा दिनांक 15.04.2013 सें स्वीकृत)		15.04.2013
	(iii) दिनांक 01-04-1999 एवं इसके बादविभिन्न सैन्य ऑपरेशन में शहीद सैनिकों के माता–पिता					15.07.2013
8	राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की कक्षा 8 तक पढने वाली आदिवासी बालिकाएं	नि:शुल्क	विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा शिड्यूल iii / RFID कार्ड के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं	राजस्थान राज्य क्षेत्र में घर से स्कूल तक आने जाने हेतु	जून, 1994
9	पदम पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति	नि:शुल्क	महामिहम राष्ट्रपित महोदय द्वारा जारी पद्म पुरस्कार के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर जारी /RFID कार्ड के आधार पर	वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहितसमस्त वाहन श्रेणी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित हैं।	24.05.2010
	पदम पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का एक सहयोगी	नि:शुल्क		वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहाँ तक निगम वाहने संचालित हैं।	06.04.2011
11	राष्ट्रीय एवम् राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को यात्री किराया मे रियायत	नि:शुल्क	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रपत्रों के अनुसार निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री	राजस्थान राज्य सीमा में	4.2.2020
12	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्द्धाओं में राज्य के पदक विजेता	नि:शुल्क	खेल स्पर्धा का मूल प्रमाण पत्र जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर, जारी परिचत्र पत्र /RFID कार्ड के आधार पर	समस्त वाहन श्रेणी(सुपर लक्जरी बसों के अतिरिक्त)	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	10.08.2010

13	राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री एवम् पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति नोट:—दिनांक 08.01. 2014 सें राज0 पुलिस के साथ BSF, CRPF, & RAC को भी इसमें सम्मिलित किया गया ।	नि:शुल्क	अवार्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर से जारी /RFID कार्ड के आधार पर	वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/6/2011
14	राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री एवम् पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति जो वर्तमान में सेवारत नहीं है का एक सहयोगी	नि:शुल्क		वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	30.08.2011
15	सशस्त्र सैना के शौर्य पदक धारक	नि:शुल्क	अवार्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय जयपुर से जारी /RFID कार्ड के आधार पर	वातानुकूलित एवं वोल्वों वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	20.5.2020
16	80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनो (महिला / पुरूष) को मुफ्त यात्रा एवं एक सहयोगी को 50 प्रतिशत की छूट ।	स्वंय को निःशुल्क, सहयोगी को 50: प्रतिशत छूट	80 वर्ष व उससे अधिक आयु होने का निर्धारित प्रपत्रों में से कोई एक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर	समस्त वाहन श्रेणी	केवल राजस्थान राज्य सीमा तक यात्री किराया में	17.04.2018
17	UPSC/RPSC/RSMSSB द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में उपस्थिति हेतु निःशुल्क यात्रा ।	निःशुल्क	आयोजित परीक्षा के प्रेवश पत्र,साक्षात्कार हेतु प्राप्त पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति के साथ निवास स्थान से सा़क्षात्कार स्थल तक निःशुल्क यात्री सुविधा।	साधारण एवं द्रुतगामी	निवास स्थान से साक्षात्कार स्थल तक	22.5.2018
	सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों एवं प्रदेश के युवा ब्राण्ड एम्बेसडर्स को निःशुल्क यात्रा ।	नि:शुल्क	आयोजित परीक्षा के प्रेवश पत्र,एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति के साथ निवास स्थान से परीक्षा स्थल तक निःशुल्क यात्री सुविधा ।	साधारण एवं द्रुतगामी	निवास स्थान से परीक्षा स्थल तक	16.4.2021

	राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत विभिन्न श्रेणी के युवा 1. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता, 2.राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रथम विजेता, 3.राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत राष्ट्रीय सेवा योजना कैडेट्स 4.राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एन.सी.सी. कैडेट्स 5.राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत स्काउटस एण्ड गाईड्स	नि:शुल्क	1.राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार प्राप्ति का प्रमाण पत्र 2. आधार कार्ड की प्रति। 3. मूल निवास प्रमाण पत्र।	साधारण एवं द्रुतगामी	राजस्थान राज्य क्षेत्र में	01.04.2023
20	नेत्रहीन / अंधता	नि:शुल्क	नेत्रहीन / अंधता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निगम से जारी /RFID कार्ड पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहाँ तक निगम वाहने संचालित है।	वर्ष —1974
21	नेत्रहीन /अंधता का एक सहयोगी	नि:शुल्क		साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है।	09.03.2005
22	श्रवण बाधित	नि:शुल्क	प्राधिकृत विषय विशेषज्ञ चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	03.08.2010
23	विकलांग (अस्थि)/ चलन निःशक्तता	नि:शुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है।	03.08.2010
24	मानसिक विमन्दित / मंदता	नि:शुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में ।	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	31.08.1998
25	मानसिक विमन्दित / मंदता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी	नि:शुल्क		साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	03.08.2010
26	कम दृष्टि निःशक्तता	नि:शुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में।	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	03.08.2010

			_			
27	मानसिक रूग्णता	निःशुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं / रात्री सेवाओं में ।	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	03.08.2010
28	मानसिक रूग्णता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी	नि:शुल्क		साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं / रात्री सेवाओं में ।	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	03.08.2010
29	कुष्ट रोग मुक्त	नि:शुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	समस्त वाहन श्रेणी	केवल राजस्थान राज्य सीमा तक	01.04.2023
30	स्वलीनता	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021
31	मल्टीपल स्कलरोसीस	नि:शुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021
32	प्रमस्तिष्क घात	नि:शुल्क	क्रम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021
33	कोनिक न्यूरोलाजिकल कण्डीशन	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021
34	बौनापन	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021
35	हीमोफिलिया /अधिरक्त स्नाव	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021
36	तेजाब हमला पीडित	नि:शुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021
37	पार्किनास रोगी	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021
38	बहुनिःराक्ता (अन्धता एवं बहरा)	नि:शुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021
39	स्पेसिफिकलर्निग डिसेबलीटी	नि:शुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021
40	थैलसिमिया	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021
41	मासपेशीय दुर्विकास	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021

		·		Г		
42	सिकल सैल डिजीज	नि:शुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामी	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021
43	वाक् एवं भाषा निःशक्ता	निःशुल्क	कम सं. 22 के अनुसार यथावत।	साधारण एवं द्रुतगामीृ	जहाँ तक निगम वााहने संचालित है ।	7/5/2021
	एड्सरोगी(IMMUNO COMPROMISED)	यात्री किराया में 75%छूट	चिकित्सक द्वारा ईलाज के लिए जारी पत्र के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं / रात्री	घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु।	25.08.2003
45	कैन्सर रोगी	यात्री किराया में 75%छूट	चिकित्सक द्वारा ईलाज के लिए जारी पत्र के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री	घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु ।	1/5/1984
46	असंकामक कुष्ट रोगी	यात्री किराया में 75%छूट	चिकित्सक द्वारा ईलाज के लिए जारी पत्र के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं/रात्री सेवाओं में।	धर से अस्पताल तक आने जाने तक	01.04.1987
47	थैलीसीमिया रोगी का एक सहयोगी	यात्री किराया में 50%छूट		साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं / रात्री सेवाओं में।	रोगी के साथ घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु	25.08.2003
48	हीमोफिलिया (Hemophilia) रोगी का एक सहयोगी	यात्री किराया में 50%छूट		साधारण एवं द्रुतगामी	घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु।	15.10.2014
49	कैन्सर रोगी का एक सहयोगी	यात्री किराया में 50%छूट		साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं / रात्री	रोगी के साथ घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु	25.8.2003
50	विद्यार्थी	यात्री किराया में 50% छूट	विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा शिड्यूल iii /परिचय पत्र के आधार पर	साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं / रात्री	निवास स्थान से शिक्षण संस्थान तक 75 कि.मी. तक की परिधि में	1974
51	निगम के लाईसेन्स धारी कूलियों को नगरीय सेवाओं में यात्रा सुविधा	यात्री किराया में 50%छूट	निगम द्वारा जारी कुली लाईसेन्स के आधार पर	केवल नगरीय बस सेवाओं में	निगम की नगरीय बस सेवा में निवास स्थान से बस स्टेण्ड तक	19.5.2008

2 निम्न धार्मिक पर्व / लक्खी मेंलोों में निगम		मेला स्थल	तक आन	जाने वाले या	त्रेयों र	नाधारण एवं द्रुतगाम	नी सेवाएं	केवल राजस्थान राज्य	01.04.2023
बसों में यात्रा करने पर यात्री किराया	50% छूट	को						सीमा तक	
राशि में छूट:-	1								
1.कैलादेवी (करौली)	_								
2.झील का बाडा (भरतपुर)									
3.रामदेवरा (जौधपुर)									
4.पुष्कर (अजमेर)									
5.उर्स मेला (अजमेर)									
6.खाटूश्यामजी (सीकर)									
7.सालासर बालाजी (चूरू)									
8.गोगामेड़ी (हनुमानगढ)									
9.बेणेश्वर धाम (डूंगरपुर)									
10.रणथम्भौर गणेशजी (सवाईमाधोपुर)									
11.डिग्गी कल्याण जी मेला . (टोंक)									
12.भृतहरि / पाण्डूपोल मेला (अलवर)									
13.बुढाडा जोहड गुरूद्वारा (श्रीगंगानगर)									
14.फाल्गुन (मुकाम) (बीकानेर)]								
15.सांवलिया सेठ —जलझूलनी एकादशी मेला (चित्तौडगढ)]								

53	महिला	यात्री किराया में 50% छूट	महिला यात्री ।	समस्त वाहन श्रेणी ।	केवल राजस्थान राज्य सीमा तक_ं	23.06.2023
54	<u> </u>	यात्री किराया में 50% छूट	60 वर्ष से 80 वर्ष तक आयु होने का निर्धारित प्रपत्रों में से कोई एक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर या निगम द्वारा जारी /RFID कार्ड के आधार पर	समस्त वाहन श्रेणी ।	केवल राजस्थान राज्य सीमा तक ं	12.03.2024
		यात्री किराया में	चुनाव आयोग का पहचान पत्र / बी.पी.एल. कार्ड / राशन कार्ड अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र में से कोई एक (आदिवासी होने का प्रमाण पत्र)	साधारण सेवाएं	आदिवासी क्षेत्रों में संचालित स्थानीय संाधारण सेवा की बसों में	23.02.2008

उक्त के अतिरिक्त निम्न पुलिस / सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु पर उनकी पत्नी तथा आश्रित बच्चों को निगम बसों में निःशुल्क सुविधा की अनुमति दी गई :—					
	1 कॉस्टेबल स्वर्गीय श्री चन्द्रभान	नि:शुल्क		30.07.2010	
	2 पुलिस निरीक्षक स्वर्ग्रीय श्री फूल मोहम्मद	नि:शुल्क		20.04.2011	
	3 स्व. श्री दुर्गालाल कीर सुरक्षा कर्मी	नि:शुल्क		13.10.2011	
	4 स्व. श्री निहाल सिंह का. नि.न. 185	नि:शुल्क		29.12.2011	
	5 स्व.श्री विजेन्द्र सिंह का नि. चालक	नि:शुल्क		20.06.2012	